वित्तीय दिशा निर्देशन

कार्यक्रम का नाम – नियमित टीकाकरण

बजट/एफ0एम0आर0 शीर्ष(अनुलग्नक 1 के आधार पर)

Focus on Urban Slum & Underserved Areas के मानदेय हेतु ।

एफ0एम0आर0 कोड संख्या – C-4.1

बजट क्रम संख्या/एफ0एम0आर0 कोड संख्या (अनुलग्नक 1 के आधार पर)

पार्ट -- सी.

कायक्रम का संक्षिप्त विवरण (5 –10 वाक्य अधिकतम)

यह राशि वैकल्पिक टीकाकर्मी के मानदेय हेतु व्यय किया जा सकता है। आर.आई माइक्रोप्लान के तहत शहरी आंगनवाड़ी केन्द्र, झुग्गी झोपड़ी (Urban Slums Area) , दूरदराज, पेरी अरवन, मलिन बस्ती, महादलित टोला, दियारा क्षेत्र एवं वैसे क्षेत्र जहाँ टीकाकर्मियों का अभाव है उन जगहों पर नियमित टीकाकरण सत्र चलाने हेतु वैकल्पिक टीकाकर्मी के लिए प्रति सत्र हेतु निम्न प्रकार से राशि का व्यय किया जाये। इसी मद से इर्ट भटठा एवं खानाबदोश (Migratory/Nomadic Population) आदि के लिए चलन्त टीकाकरण दल (Mobile Team) जिसका विविरण नियमित टीकाकरण के सूक्ष्म कार्ययोजना में सम्मिलित हो , इस राशि का उपयोग निम्न दर से किया जा सकता है।

इकाई राशि (रू0 लाख में)

350/– रूपये प्रति टीककरण सत्र/माह की दर से शहरी क्षेत्र में टीकाकरण हेतु अथवा 1400/– रूपये प्रतिमाह की दर से प्रति वैकल्पिक टीकाकर्मी (Alternate/ Hired/ Private Vaccinator etc.) के मानदेय के भुगतान हेतु।

वित्तीय दिशा निर्देशन

उपरोक्त नियमित टीकाकरण सत्र चलाने हेतु वैकल्पिक टीकाकर्मी का सम्पूर्ण विवरण आर.आई. कार्ययोजना(Microplan) में दर्शाया जाये एवं सत्र सम्पन्न हाने पर प्रतिवेदन की प्राप्ति के पश्चात् ही इनका भुगतान सुनिश्चित किया जाये।

इस संदर्भ में यदि कोई पत्र पूर्व में प्रेषित किया गया हो (पत्र सं. तिथि के साथ उल्लेखित करें)

(क)

(ख)

(ग)

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी / सलाहकार का नाम

डा.गोपाल कृष्ण, राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी प्रतिरक्षण

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी / सलाहकार का फोन नंबर

9470003014 / 0612–2290351

वित्तीय दिशा निर्देशन

कार्यक्रम का नाम – नियमित टीकाकरण
बजट/एफ0एम0आर0 शीर्ष(अनुलग्नक 1 के आधार पर)
Focus on Urban Slum & Underserved Areas के मानदेय हेतु।
एफ0एम0आर0 कोड संख्या – C-4.2
बजट क्रम संख्या/एफ0एम0आर0 कोड संख्या (अनुलग्नक 1 के आधार पर)
पार्ट – सी.

कायक्रम का संक्षिप्त विवरण (5 –10 वाक्य अधिकतम)
यह राशि आर.आई माइक्रोप्लान के तहत शहरी आंगनवाड़ी केन्द्र, झुग्गी झोपड़ी (Urban Slums Area) , दूरदराज, पेरी अरवन, मलिन बस्ती, महादलित टोला, दियारा क्षेत्र एवं वैसे क्षेत्र जहाँ आंगनवाड़ी केन्द्र नही है उन जगहों पर नियमित टीकाकरण सत्र चलाने हेतु उपलब्ध Mobilizer (यथा आंगनवाड़ी सहायिका/ सेविका/अन्य कोई Volunteer) हेतु प्रति सत्र की दर से Paid Mobilizer के रूप में राशि का व्यय किया जा सकता है।

इकाई राशि (रू0 लाख में)
200/– रूपये प्रति टीककरण सत्र/माह की दर से शहरी क्षेत्र में टीकाकरण हेतु प्रति Mobilizer (यथा आंगनवाड़ी सहायिका/ सेविका/अन्य कोई Volunteer) के मानदेय के भुगतान हेतु।

वित्तीय दिशा निर्देशन
उपरोक्त नियमित टीकाकरण सत्र चलाने हेतु Mobilizer का सम्पूर्ण विवरण आर.आई. कार्ययोजना(Microplan) में दर्शाया जाये एवं सत्र सम्पन्न हाने पर प्रतिवेदन की प्राप्ति के पश्चात् ही इनका भुगतान सुनिश्चित किया जाये।

इस संदर्भ में यदि कोई पत्र पूर्व में प्रेषित किया गया हो (पत्र सं. तिथि के साथ उल्लेखित करें)
(क)
(ख)
(ग)
संबंधित कार्यक्रम अधिकारी / सलाहकार का नाम
डा.गोपाल कृष्ण, राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी प्रतिरक्षण
संबंधित कार्यक्रम अधिकारी / सलाहकार का फोन नंबर
9470003014 / 0612–2290351